किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– मथराराम बनाम कमलादेवी वगैरा मु.नं. 175/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 207 रकबा 03.0351 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible]र Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.07.29 16:15:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2024 / 563

दिनांक : 24.07.2024

प्रार्थी
मथराराम पुत्र खेताराम

बनाम

विप्रार्थीगण
कमलादेवी पत्नी भूराराम वगैरा वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं:–175 / 2023

दिनांकः–19.07.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 207 रकबा 03.0351 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद / 2024 / 564-567

दिनांक : 24.07.2024

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मवड़ी को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री मथराराम पुत्र खेताराम जाति भील निवासी मवड़ी तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:15:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सिवाना (बाड़मेर)